



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
पूमरे/हाजीपुर

कार्यालय आदेश सं०:- अराज०/19/2020

दिनांक 28.02.2020

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कनिष्ठ लेखा सहायक को लेखा सहायक, ग्रेड वेतन रु० 4200/- (Level 6) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरान्त उनके वर्तमान कार्यालय में ही पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Sl. No.	Name (Sri/Smt./Kri.)	Catg.	Desig.	Posted under
1	Arvind Kumar Srivastav	UR	JAA	Sr. DFM/DNR

नोट:-

1. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IREC Vol-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
2. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
3. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।
4. इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या NG//07/2017 Dated:- 01.02.2017 के अन्तर्गत इन्हें Provisionally पदोन्नति दी गई थी, जिसे इस कार्यालय आदेश के तहत अब स्थायी कर दी गई है।

(प्राधिकार: मिसिल संख्या ECR/FIN/Admn./Promotion/AA के टिप्पणी 102 पर)

(शैलभ कुमार)
वस/विस/प्रशा०
कृते प्रधान वित्त सलाहकार

सं.: ECR/FIN/Admn./Promotion/AA

दिनांक: 28.02.2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ।
2. वमविस/सामान्य/हाजीपुर।
3. वमदिप्र/दानापुर।
4. सचिव/ईसीआरकेयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन।
5. संबंधित कर्मचारी।
6. सूचना पटल।

कृते प्रधान वित्त सलाहकार